

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-
सह-जिला पदाधिकारी।

विषय:-

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के दर निर्धारण के संबंध में।

पटना, दिनांक:- 24/3/17

महाशय,

निदेशानुसार बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान निम्नांकित तालिका में निर्धारित दर के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	दैनिक मुआवजा का दर (रू0 में)
1	2	3
1	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	2200.00
2	बस (40 से 49 सीट)	2000.00
3	मिनी बस (23 से 39 सीट)	1500.00
4	मैक्सी/सिटी राईड/विगर/टैम्पो ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	1200.00
5	छोटी कार (सामान्य)	650.00
6	छोटी कार (वातानुकूलित)	750.00
7	ट्रैकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय यान	650.00
8	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	700.00
9	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	800.00
10	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा/इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	1200.00
11	विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	550.00
12	ऑटो रिक्शा	400.00
13	मोटर साईकिल	200.00
14	भारी मालवाहक	
	(क) सकलयान भार 12000-16200 कि0ग्रा0 (छ: चक्का यान)	1500.00
	(ख) सकलयान भार 16201-25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर)	1900.00

	(ग) सकलयान भार 25001 कि०ग्रा० एवं उसके अधिक (दस चक्का से अधिक यान)	2000.00
15	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501-11999 कि० ग्रा०)	1100.00
16	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि०ग्रा० तक	550.00
	(ख) सकलयान भार 3001-7500 कि०ग्रा० डिलीवरी समकक्षीय	900.00
17	ट्रैक्टर-ट्रैलर	650.00


(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र की प्रति सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी को भी उपलब्ध करा दें ताकि आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण के संबंध में उन्हें भी पहले से यह जानकारी उपलब्ध रहे।

विश्वासभाजन


निदेशक,

नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-
सह-जिला पदाधिकारी।

विषय:-

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के दर निर्धारण के संबंध में।

पटना, दिनांक:-

महाशय,

निदेशानुसार बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के मुआवजा का भुगतान निम्नांकित तालिका में निर्धारित दर के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	दैनिक मुआवजा का दर (रु0 में)
1	2	3
1	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	2200.00
2	बस (40 से 49 सीट)	2000.00
3	मिनी बस (23 से 39 सीट)	1500.00
4	मैक्सी/सिटी राईड/विगर/टैम्पो ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	1200.00
5	छोटी कार (सामान्य)	650.00
6	छोटी कार (वातानुकूलित)	750.00
7	ट्रैकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय यान	650.00
8	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	700.00
9	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	800.00
10	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा/इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	1200.00
11	विक्रम/एस मैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	550.00
12	ऑटो रिक्शा	400.00
13	मोटर साईकिल	200.00
14	भारी मालवाहक	
	(क) सकलयान भार 12000-16200 कि0ग्रा0 (छः चक्का यान)	1500.00
	(ख) सकलयान भार 16201-25000 कि0ग्रा0 (दस चक्का यान/डम्पर)	1900.00

	(ग) सकलयान भार 25001 कि०ग्रा० एवं उसके अधिक (दस चक्का से अधिक यान)	2000.00
15	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501-11999 कि० ग्रा०)	1100.00
16	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि०ग्रा० तक	550.00
	(ख) सकलयान भार 3001-7500 कि०ग्रा० डिलीवरी समकक्षीय	900.00
17	ट्रैक्टर-ट्रैलर	650.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) वाहनों के तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(iii) इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र की प्रति सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी को भी उपलब्ध करा दें ताकि आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण के संबंध में उन्हें भी पहले से यह जानकारी उपलब्ध रहे।

विश्वासभाजन

ह०/-


निदेशक,

नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

/पटना, दिनांक:- 24/3/17

ज्ञापांक- 2251 /न०वि०एवंआ०वि०

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।